भारतीय सामाजिक एकता पार्टी

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018, e-mail : bseparty@gmail.com

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव – 2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना सन 2018 – 2023

BSEP

भारतीय सामाजिक एकता पार्टी

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018, e-mail : bseparty@gmail.com

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव – 2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना सन 2018 – 2023

चुनाव चिन्ह

हेड फोन

भारतीय सामाजिक एकता पार्टी

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव – 2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री यशवन्त गोविंद देव
निवास – ए–101, आदर्श नगर,
अहमदपुर, होशंगाबाद रोड,
भोपाल (म.प्र.)
मोबाईल – 9425371158

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्री मोहम्मद अहमद खान
निवास – 16, ग्राम नंदोरा,
तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन (म.प्र.)
मोबाईल – 9752220499

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्री दिलीप विश्वनाथ तपके
निवास – विश्वनाथ, 3/3/742,
विश्वभूमि, व्यंक्टेश नगर,
नांदेड़ (महाराष्ट्र)
मोबाईल – 9421764688

राष्ट्रीय महासचिव
श्री नरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
निवास – सी–155, बी.डी.ए.
कॉलोनी, कोहेफिजा,
भोपाल (म.प्र.)
मोबाईल – 9406541909

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
श्री राजेश मुरलीधर बुधले
निवास – प्रथमेश अपार्टमेंट, फ्लेट
नं. 303, शुक्रवार पेठ, मस्कूती
तलाव, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
मोबाईल – 9325539346

संस्थापक एवं
राष्ट्रीय प्रवक्ता
श्री श्रीकांत मुरलीधर बुधले
निवास – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील
गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
मोबाईल – 9172427364

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना का संकल्प

1. तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी नियंत्रित करना।
2. अस्थिर महँगाई दर नियंत्रित करना।
3. रोजगार के अवसरों का निर्माण।
4. कुपोषण की चिन्ताजनक स्थिति को नियंत्रित करना।
5. गुणवत्ता पूर्ण रोजगार का निर्माण।
6. बढ़ती हुई अपराध दर नियंत्रित करना।
7. ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन को नियंत्रित करना।
8. भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन नियंत्रित करना।
9. असंतुलित आयात निर्यात नियंत्रित करना।
10. आर्थिक विकास की धीमी गति नियंत्रित करना।

पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023 का लक्ष्य

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023 को वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर बनाई गई है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 करोड़ 20 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ आबादी है एवं प्रदेश की कुल आबादी 7 करोड़ 20 लाख है।

पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023 को आगे ''शास्वत विकास योजना'' तथा मध्यप्रदेश राज्य को आगे ''प्रदेश'' संबोधित किया गया है।

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

शास्वत रोजगार निर्माण

1. ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 मिनी औद्योगिकी क्षेत्रों का निर्माण
2. शहरी क्षेत्रों में 1 हजार मिनी औद्योगिकी क्षेत्रों का निर्माण
3. ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख 60 हजार उद्यमियों का निर्माण
4. शहरी क्षेत्रों में 1 लाख उद्यमियों का निर्माण
5. ग्रामीण क्षेत्रों में 52 लाख बेरोजगारों के लिये रोजगार का निर्माण
6. शहरी क्षेत्रों में 20 लाख बेरोजगारों के लिये रोजगार का निर्माण
7. ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 सिंगल ब्राण्ड शॉपिंग मॉल्स का निर्माण
8. शहरी क्षेत्रों में 400 सिंगल ब्राण्ड शॉपिंग मॉल्स का निर्माण

शास्वत कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग विकास

1. 'प्रदेश' के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 सैटेलाईट रिमोट सेसिंग तथा कम्प्यूटरकृत इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर प्रौद्योगिकी आधारित मौसम एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों का निर्माण। (Satellite Remote Sensing and Computerized Electronic Sensor Technology based Meteorological and Agriculture Science Centre)
2. मौसम एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों के कृषि उत्पादन खर्च में 25 प्रतिशत की कमी हो जायेगी तथा कृषि उत्पादनों में 30 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी।

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण।

4. मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के उपयोग से किसानों के कृषि उत्पाद में 20 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी।

5. प्रदेश में स्थापित 3 हजार सिंगल ब्राण्ड शॉपिंग मॉल्स के द्वारा कृषि उत्पादन को प्रत्यक्ष विपणन (Direct Marketing) उपलब्ध हो जाने के कारण किसान और ग्राहक के बीच में थोक विक्रेता एवं जमाखोर, उप विक्रेता एवं दलालों की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी। इस कारण किसानों की आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

6. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में जट्रोफा – जैविक ईंधन (Bio Diesel) उत्पादन क्षेत्रों का निर्माण।

7. जट्रोफा लगाने की वजह से प्रदेश के सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रति एकड़ बिना खर्च बागड़ (Fencing) बन जायेगा। इस कारण पालतू एवं जंगली जानवर कृषि क्षेत्र में घुस नहीं पायेंगे। इस वजह से कृषि उत्पादन का नुकसान नहीं होगा और कृषि उत्पादन बढ़ जायेगा।

8. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में कुल 640 करोड़ सौर पैनलस स्थापित करके सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों का निर्माण।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

9. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में कुल 14 लाख 56 हजार तालाब की निर्मिती करके जल कृषि क्षेत्र का निर्माण।
10. जल कृषि क्षेत्र का विस्तार का महत्वपूर्ण उपयोग वर्तमान भू–जल स्त्रोत की दयनीय स्थिति नियंत्रण में लाने के लिये उपयुक्त होगा।
11. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में कुल 14 लाख 56 हजार एकड़ क्षेत्र में रेशम कृषि उत्पादन क्षेत्र का निर्माण।
12. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में 2 हजार 600 कृषि बीमा सेवा केन्द्रों का निर्माण।
13. प्रदेश के खुले वन क्षेत्र में सुगंधित तथा औषधी वनस्पति प्रक्रिया उद्योग क्षेत्र का निर्माण।

शास्वत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में ई–शिक्षा केन्द्रों का निर्माण।
2. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में ई–स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण।
3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में पुलिस यंत्रणा का विस्तार एवं निर्माण।
4. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में न्यायालयीन यंत्रणा का विस्तार एवं निर्माण।

शास्वत रोजगार निर्माण

1. तेजी से बढती हुई बेरोजगारी नियंत्रित करना

''प्रदेश'' के कुल आबादी में से प्रति 20 हजार आबादी के पीछे 1 इस अनुपात में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 मिनी औद्योगिक क्षेत्रों (Mini Industrial Area) तथा शहरी क्षेत्र में 1 हजार मिनी औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण होगा। मिनी औद्योगिक क्षेत्र सिर्फ 30 एकड़ भूमि क्षमता के होंगे।

प्रत्येक मिनी औद्योगिक क्षेत्र में 100 'माइक्रो इण्डस्ट्रीज' (सूक्ष्म उद्योग) होंगे तथा प्रत्येक 'माइक्रो इण्डस्ट्रीज' का स्वामित्व स्वतंत्र उद्यमी का होगा। सभी 100 'माइक्रो इण्डस्ट्रीज' के उद्यमी एक ही प्रकार का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार 100 'माइक्रो इण्डस्ट्रीज' का एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' स्थापित होगा।

इस प्रकार एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में 100 उद्यमी निर्मित होंगे। इस अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख 60 हजार तथा शहरी क्षेत्र में 1 लाख उद्यमी निर्मित किये जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार 600 तथा शहरी क्षेत्र में 1 हजार 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर्स' का निर्माण होगा।

एक 'माइक्रो इण्डस्ट्रीज' में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में 20 कर्मचारियों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इस अनुपात में एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में 2 हजार बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान किये जाने के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 52 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 20 लाख एवं कुल 72 लाख बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये जाने के कारण तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी पर नियंत्रण होगा।

72 लाख इतनी विशाल संख्या में रोजगार के अवसर निर्मित करने वाले 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' की संकल्पना निम्नानुसार है :–

एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के अंतर्गत अलग–अलग उद्यमियों के व्यक्तिग्त स्वामित्व की 100 'माइक्रो इण्डस्ट्रीज' होंगी एवं 100 उद्यमी एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करेंगे।

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के अंतर्गत 100 माइक्रो उद्यमियों के सामूहिक स्वामित्व का एक सार्वजनिक सुविधा केन्द्र (Common Facility Centre) स्थापित होगा।

इस सुविधा केन्द्र में सामूहिक रूप से अत्याधुनिक क्वालिटी कंट्रोल इक्विप्मेन्ट एवं पैकेजिंग मशीनरी, आवश्यकतानुसार इफल्युऐंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा प्रदूषण नियंत्रण इक्विप्मेन्ट, आवश्यकतानुसार शीत गृह (Cold Storage) तथा कच्चे माल एवं उत्पादित उत्पादनों के लिये गोदाम एवं ट्रेनिंग सेन्टर यह सुविधा 100 उद्यमियों के लिये सार्वजनिक के रूप में स्थापित होगा।

इस सार्वजनिक सुविधा केन्द्र में सामूहिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिये 100 माइक्रो उद्यमियों द्वारा एक प्रोडक्शन टेक्नॉलोजिस्ट (उत्पादन विशेषज्ञ) की नियुक्ति होगी। यह विशेषज्ञ संबंधित उत्पादन विषय का उच्च शिक्षित एवं दीर्घ अनुभवी होगा तथा इस विशेषज्ञ के अधीन आवश्यकतानुसार कर्मचारी होंगे।

विशेषज्ञ की देख–रेख में 100 उद्यमी संबंधित उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चे माल की खरीद सामूहिक रूप से थोक भाव में करेंगे।

विशेषज्ञ की देख–रेख में संबंधित उत्पादन का क्वालिटी कंट्रोल 100 उद्यमी करेंगे तथा विशेषज्ञ द्वारा 100 उद्यमियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

विशेषज्ञ की देख–रेख में संबंधित उत्पादन का पैकेजिंग करके उत्पादित उत्पाद (Finish Product) की वितरण व्यवस्था की जाएगी।

प्रोडक्शन टेक्नॉलोजिस्ट तथा उसके अधीन कर्मचारियों का मासिक वेतन आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक 5 लाख रूपये होगा तो भी 100 माइक्रो उद्यमियों को प्रतिमाह मात्र 5000 रूपये का खर्च आएगा।

उदाहरण के लिए रेडीमेड गारमेन्टस 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' की जानकारी निम्नानुसार होगी :–

रेडीमेड गारमेन्टस 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में स्थापित सभी 100 माइक्रो इन्डसट्रीज के सभी उद्यमी एक ही प्रकार का रेडीमेड गारमेन्टस का निर्माण करते है, इस निर्माण कार्य के

लिए आवश्यक कपड़ा एवं अन्य सामग्री (कच्चा माल) की विशेषज्ञ के देख–रेख में थोक भाव में सामूहिक रूप से खरीदी की जाती है।

100 'माइक्रो इन्डसट्रीज' में कार्यरत कर्मचारियों को समय–समय पर बाजार की मांग के अनुसार विशेषज्ञ द्वारा फैशन डिजाइन्स की जानकारी प्राप्त करके सभी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

फैशन डिजाइन्स के अनुसार सभी 100 माइक्रो इन्डसट्रीज में उत्पादन होने वाले रेडीमेड गारमेन्टस का क्वालिटी कंट्रोल सामूहिक रूप से विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है।

रेडीमेड गारमेन्टस उत्पादन पैकेजिंग सामग्री में सामूहिक रूप से आधुनिक पैकेजिंग मशीनरी द्वारा पैकेजिंग करके बिक्री के लिए भेजा जाता है।

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में शामिल होने वाले उत्पादों की सूची

1. प्याज, लहसुन को सुखाना (Dehydration) एवं पावडर का उत्पादन एवं पैकेजिंग।
2. हरी मिर्च सुखाना एवं पावडर का उत्पादन एवं पैकेजिंग।
3. आलू चिप्स उत्पादन एवं पैकेजिंग।
4. टमाटर चटनी, केचअप उत्पादन एवं पैकेजिंग।
5. विभिन्न फलों का जैम, मुरब्बा, रस (Squashes) सारकृत (concentrated) द्रव्य उत्पादन एवं पैकेजिंग।
6. ताजी (Fresh) हरी सब्जी, टमाटर, खीरा, आलू, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन की सफाई (Cleaning) श्रेणीकरण (Grading) एवं पैकेजिंग।
7. मक्का, चावल, दालें, गेहूं, चना, छोला, मूंग, मसूर की सफाई, श्रेणीकरण एवं पैकेजिंग।
8. खाद्य तेल – मूंगफली पिराई एवं तेल निर्माण, सरसों पिराई एवं तेल निर्माण, तिल्ली पिराई एवं तेल निर्माण तथा पैकेजिंग।
9. अखाद्य तेल जाट्रोंफा पिराई एवं तेल निर्माण अरंडी पिराई एवं तेल निर्माण तथा पैकेजिंग।

10. बेकरी उत्पादन।
11. बिस्कुट उत्पादन।
12. चाकलेट उत्पादन।
13. कन्फेक्शनरी उत्पादन।
14. सिवई (Noodles) उत्पादन।
15. पापड़ उत्पादन।
16. मिनरल वाटर उत्पादन।
17. बेसन उत्पादन एवं पैकेजिंग।
18. आटा उत्पादन एवं पैकेजिंग।
19. मैदा उत्पादन एवं पैकेजिंग।
20. रवा उत्पादन एवं पैकेजिंग।
21. जैविक उर्वरक उत्पादन,
22. जैविक कीटनाशक उत्पादन।
23. दूध उत्पादन एवं पैकेजिंग।
24. प्रोटीन पावडर (Baby Food) उत्पादन।
25. टॉयलेट क्लीनर उत्पादन।
26. टॉयलेट सोप उत्पादन।
27. वॉशिग सोप उत्पादन।
28. वॉशिग पावडर उत्पादन।
29. शैम्पू उत्पादन।
30. फेस क्रीम उत्पादन।
31. बॉडी लोशन एवं बॉडी स्प्रे उत्पादन।
32. रूम फ्रेशनर उत्पादन।
33. हेअर डाई उत्पादन।
34. शेविंग क्रीम उत्पादन।

35. शेविंग ब्रश उत्पादन।
36. टूथ पेस्ट उत्पादन।
37. टूथ ब्रश उत्पादन।
38. टेल्कम पावडर उत्पाद।
39. लिपस्टिक उत्पादन।
40. हेअर रिमूवर क्रीम उत्पादन।
41. सैनिटरी नैपकीन उत्पादन।
42. डायपर उत्पादन।
43. पेपर नैपकीन उत्पादन।

उपरोक्त उत्पादनों को केवल उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। किन्तु निम्नलिखित प्रत्येक विभाग (Sector) में क्लस्टर प्रणाली के मापदण्ड के अनुसार शामिल होने वाले विभिन्न उत्पादनों के विभाग की सूची।

1. Apparel Products.
2. Chemicals Products.
3. Pharmaceuticals Products.
4. Cosmetics Products.
5. Cotton Textiles Products.
6. Leather Goods Products,
7. Engineering Goods Products.
8. Electronics Appliances Products.
9. Computer Hardware Products.
10. Computer Software Products.
11. Handicraft Products
12. Artificial Jewellery Products.
13. Handloom Products.

14. Silk Products.
15. Ayurvedic Medicine Products.
16. Plastic Products.
17. Powerloom Products.
18. Sports Goods.
19. Shellac Products.
20. Forest Products.
21. Wool & Woollen products.
22. Telecom Equipments.
23. Solar Energy Equipments.
24. Agriculture & Processed Food Products.
25. Spices.

2. अस्थिर महॅगाई दर नियंत्रित करना

वर्तमान स्थिति में उत्पादक तथा ग्राहक के बीच में थोक विक्रेता एवं जमाखोर, उप विक्रेता तथा दलालों की श्रंखला होने के कारण महंगाई दर अस्थिर रहती है।

अस्थिर महंगाई दर पर नियंत्रण पाने के लिये 'प्रदेश' के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 हजार आबादी के पीछे एक इस अनुपात में 2 हजार 600 सिंगल ब्राण्ड शॉपिंग मॉल्स का निर्माण होगा तथा शहरी क्षेत्रों में 50 हजार के पीछे एक इस अनुपात में 400 सिंगल ब्राण्ड शॉपिंग मॉल्स का निर्माण होगा।

'प्रदेश' में स्थापित 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में से उत्पादित उत्पाद की विक्रय व्यवस्था 'प्रदेश' में स्थापित 3 हजार सिंगल ब्राण्ड शॉपिंग मॉल्स द्वारा की जाएगी। इस कारण उत्पादनकर्ता और ग्राहक के बीच में थोक विक्रेता एवं जमाखोर, उप विक्रेता एवं दलालों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, इस वजह से अस्थिर महंगाई दर नियंत्रित की जाएगी।

सिंगल ब्रान्ड शॉपिंग मॉल्स की जानकारी निम्नानुसार है

नर्मदा नदी 'प्रदेश' की जीवन रेखा है। इसे ध्यान में रखते हुए नर्मदा मॉल्स के नाम से सिंगल ब्रान्ड शॉपिंग मॉल्स की श्रंखला स्थापित की जायेगी।

'प्रदेश' में स्थापित 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में से उत्पादित उत्पाद 'नर्मदा ब्रान्ड' से पैकेजिंग करके बिक्री की जायेगी, उदाहरण के लिये नर्मदा रेडीमेड गारमेन्टस, नर्मदा दूध, नर्मदा बेसन, नर्मदा मसाले, नर्मदा आर्गेनिक फर्टिलाइजर, नर्मदा इलेक्ट्रानिक उपकरण आदि।

'प्रदेश' में 3 हजार नर्मदा शॉपिंग मॉल्स की श्रंखला स्थापित हो जाएगी और सभी नर्मदा ब्रान्ड के उत्पाद के विज्ञापन एक ही नाम से प्रसारित किये जाने के कारण विज्ञापन का खर्च विभाजित होकर नाममात्र ही आयेगा।

''शास्वत विकास योजना'' में आगे 'सिंगल ब्रान्ड शॉपिंग मॉल्स' को 'नर्मदा मॉल्स' संबोधित किया गया है।

3. रोजगार के अवसरों का निर्माण

भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन औद्योगिक मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं।

(अ) सूक्ष्म उद्योग (Micro industries) स्थापित करने के लिए प्लांट और मशीनरी में पूंजी निवेश अधिक से अधिक 25 लाख रूपये तक किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता।

(ब) लघु उद्योग (Small scale Industries) स्थापित करने के लिए प्लांट और मशीनरी में कम से कम 25 लाख, एवं ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ पूंजी निवेश किया जा सकता है, उससे कम या अधिक नहीं किया जा सकता।

(स) प्रति एक लाख रूपये के पूंजी निवेश के पीछे एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर प्राप्त होना आवश्यक है। यह Per capita Investment one Lac rupees मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त तीन मानदण्डों का पालन करते हुए 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिये पूंजी निवेश का प्रारूप निम्नानुसार है। परंतु प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार पूंजी निवेश राशि तथा प्रोजेक्ट का आकार कम या अधिक हो सकता है।

एक व्यक्तिगत उद्यमी को अपने व्यक्तिगत स्वामित्व की माईक्रो इन्डस्ट्री निर्माण के लिए भूमि, भवन, मशीनरी तथा कार्यशील पूंजी (Working Capital) की आवश्यकता होगी, इसके लिए कुल 20 लाख रूपये राशि का पूंजी निवेश निर्धारित किया है।

इस पूंजी निवेश की ऋण सहायता बैंक से प्राप्त करने के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन राशि 2 लाख रूपये का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से उद्यमी को करना होगा एवं 18 लाख रूपये की ऋण सहायता बैंक से प्राप्त होगी।

100 अलग अलग उद्यमियों के 100 माइक्रो इण्स्ट्रीज के निर्माण के लिए, प्रति उद्यमी 20 लाख रूपये निवेश के अनुसार 100 उद्यमियों का कुल 20 करोड़ रूपये का निवेश हो जाता है, पर कॅपिटा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रूपये इस मानदण्ड के अनुसार एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 2 हजार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें।

एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में 2 हजार कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, तथा 100 उद्यमियों का निर्माण होता है, इस अनुपात में 'प्रदेश' में स्थापित 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में 72 लाख बेरोजगारों को तथा 3 लाख 60 हजार उद्यमियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने की वजह से रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा।

4. कुपोषण की चिन्ताजनक स्थिति को नियंत्रित करना

राष्ट्रीय परिवार आरोग्य सर्वेक्षण के अनुसार 'प्रदेश' में 5 सदस्यों का एक परिवार है, इस अनुपात में 'प्रदेश' के कुल आबादी में 1 करोड़ 44 लाख परिवार निवासरत हैं।

राष्ट्रीय परिवार आरोग्य सर्वेक्षण के अनुसार 'प्रदेश' के कुल आबादी में से 40 प्रतिशत आबादी कुपोषणग्रस्त है। इस अनुपात में 'प्रदेश' में 57 लाख 60 हजार परिवार कुपोषणग्रस्त है।

'प्रदेश' में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' स्थापित होने के कारण 72 लाख बेरोजगारों को स्थायी रोजगार प्राप्त होगा तथा 72 लाख परिवारों को निश्चित आय प्राप्त होगी। इससे कुपोषण की चिन्ताजनक स्थिति नियंत्रित हो जायेगी।

5. गुणवत्ता पूर्ण रोजगार का निर्माण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 'प्रदेश' की 69.32 प्रतिशत आबादी साक्षर है, 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिए शहरी क्षेत्रों में 20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 52 लाख, कुल 72 लाख साक्षर युवाओं की आवश्यकता होगी।

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिए सभी प्रकार के अति उच्च शिक्षित, उच्च शिक्षित, मध्यम शिक्षित, साधारण शिक्षित, अल्प शिक्षित युवाओं की आवश्यकता होगी। इस प्रकार गुणवत्ता पूर्वक रोजगार का निर्माण हो जायेगा।

6. बढ़ती हुई अपराध दर नियंत्रित करना

'प्रदेश' के जनसम्पर्क विभाग द्वारा 21/09/2013 में प्रकाशित की गई जानकारी के अनुसार 18 से 29 आयु वर्ग के मतदाताओं की सख्या 1 करोड़ 65 लाख हैं।

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में 72 लाख युवाओं को स्थाई रोजगार प्राप्त होने के पश्चात बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक रोजगार में व्यस्त हो जायेंगे, इस कारण बढ़ती हुई अपराध दर भी नियंत्रित हो जायेगी।

7. ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन को नियंत्रित करना

'प्रदेश' के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' स्थापित होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में 52 लाख रोजगारों का निर्माण होगा। इस कारण ग्रामीण आबादी का शहरों की तरफ पलायन नियंत्रित होगा।

8. भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन नियंत्रित करना

वर्तमान स्थिति में कृषि उत्पादन को 50 से 80 प्रतिशत वेस्टेज के साथ नगरों या उप नगरों में अकारण डीज़ल खर्च करके परिवहन किया जाता है।

'प्रदेश' के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' द्वारा कृषि उत्पादनों का क्लीनिंग (सफाई), ग्रेडिंग (श्रेणी निर्धारण) और प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) होकर पैकेजिंग करके 'नर्मदा

शॉपिंग मॉल्स' में बिक्री के लिए भेजा जाने के कारण 50 से 80 प्रतिशत वेस्टेज मटेरियल ग्रामीण क्षेत्र में ही बचा रहेगा तथा बचे हुए वेस्टेज मटेरियल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में आर्गेनिक फर्टिलायजर (जैविक उर्वरक) का उत्पादन किया जायेगा।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में जैविक उर्वरक की उपलब्धता होने के कारण रासायनिक उर्वरक (केमिकल फर्टिलाईजर) का उपयोग कम होकर जैविक कृषि क्षेत्र बढ़ेगा।

जैविक कृषि क्षेत्र बढ़ने के कारण जैविक कृषि उत्पाद प्रसंस्करित निर्यात योग्य उत्पादनों का निर्यात बढ़ेगा।

केमिकल फर्टिलाईजर तथा अकारण परिवहन के लिये डीजल उपयोग कम होने की वजह से डीजल के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

जैविक कृषि उत्पादनों का निर्यात बढ़ जाने के कारण विदेशी मुद्रा अपने देश को ज्यादा प्राप्त होगी। इस कारण भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन नियंत्रित होगा।

9. असंतुलित आयात निर्यात नियंत्रित करना

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में शामिल विभिन्न परियोजनाओं में निर्यात योग्य (export oriented) और आयात के विकल्प योग्य (import substitute) परियोजनाएँ शामिल हैं, इन परियोजनाओं से निर्मित उत्पादनों को 'नर्मदा ब्रान्ड' का सहारा (support) प्राप्त होगा।

निर्यात योग्य परियोजनाओं में से उत्पादन बढ़ने से निर्यात बढ़ेगा तथा आयात के विकल्प योग्य उत्पादन परियोजनाओं में बढ़ने के कारण आयात घटेगा, इस प्रकार असंतुलित आयात निर्यात को नियंत्रित किया जायेगा।

10. आर्थिक विकास की धीमी गति नियंत्रित करना

'प्रदेश' में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' स्थापित करने के लिए प्रति 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में 25 करोड़ रूपये पूंजी निवेश के अनुसार 90 हजार करोड़ रूपयों का पूंजी निवेश हो जायेगा। इस वजह से 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिए आवश्यक मशीनरी का

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

उत्पादन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा भवन निर्माण सामग्री एवं भवन निर्माण उद्योग में तेजी आएगी।

'प्रदेश' में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में से उत्पादित होने वाले उत्पादनों की बिक्री की व्यवस्था 'नर्मदा मॉल्स' में प्रारम्भ होने से 'प्रदेश' में बहुत बड़ी मात्रा में वित्तीय कारोबार बढ़ेगा।

इसके अतिरिक्त 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में से निर्माण होने वाले 3 लाख 60 हजार उद्यमी एवं 72 लाख रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी।

इन सब के संयुक्त परिणाम स्वरूप 'प्रदेश' शासन का राजस्व निश्चित रूप से बढ़ने से आर्थिक विकास की धीमी गति नियंत्रित हो जायेगी।

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' एवं नर्मदा मॉल्स स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश तथा उसका प्रबन्ध के विषय में जानकारी निम्नानुसार है :–

एक व्यक्तिगत उद्यमी को अपनी स्वामित्व की माइक्रो इण्डस्ट्री निर्माण के लिये भूमि, भवन, मशीनरी तथा क्रियाशील पूंजी (Working Capital) की आवश्यकता होगी। इसके लिये कुल राशि रूपये 20 लाख पूंजी निवेश निर्धारित किया है।

इस पूंजी निवेश राशि में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 18 लाख की ऋण राशि बैंक द्वारा की जायेगी तथा 10 प्रतिशत राशि रूपये 2 लाख का प्रबंध व्यक्तिगत रूप से उद्यमी द्वारा किया जायेगा।

इस अनुपात में एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में निर्धारित 100 माइक्रो इण्डस्ट्री उद्यमियों के लिये कुल राशि रूपये 20 करोड़ पूंजी निवेश निर्धारित किया है।

इस पूंजी निवेश राशि में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 18 करोड़ की ऋण सहायता बैंक द्वारा की जायेगी तथा 10 प्रतिशत राशि रूपये 2 करोड़ का प्रबंध 100 उद्यमियों द्वारा प्रति उद्यमी राशि रूपये 2 लाख के अनुपात में किया जायेगा।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के अंतर्गत 100 माइक्रो इण्डस्ट्रीज उद्यमियों का सामूहिक रूप से एक सार्वजनिक सुविधा केन्द्र (Common Facility Centre) स्थापित होगा तथा इस सुविधा केन्द्र में सामूहिक रूप से अत्याधुनिक क्वालिटी कंट्रोल इक्विप्मेन्ट एवं पैकेजिंग मशीनरी, आवश्यकतानुसार इफल्युऐंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा प्रदूषण नियंत्रण इक्विप्मेन्ट, आवश्यकतानुसार शीत गृह (Cold Storage) तथा कच्चे माल एवं उत्पादित उत्पादनों के लिये गोदाम एवं ट्रेनिंग सेन्टर यह सुविधा स्थापित होगी।

इस सार्वजनिक सुविधा केन्द्र के लिये कुल राशि रूपये 5 करोड़ पूंजी निवेश निर्धारित किया है।

इस 5 करोड़ रूपयों की पूंजी निवेश राशि में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 4 करोड़ 50 लाख रूपयों की ऋण सहायता बैंक द्वारा 100 उद्यमियों के लिये सामूहिक रूप से की जायेगी तथा 10 प्रतिशत राशि रूपये 50 लाख का प्रबंध 100 उद्यमियों द्वारा प्रति उद्यमी 50 हजार रूपये के अनुपात में किया जायेगा।

एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के निर्धारित 100 व्यक्तिगत माइक्रो उद्यमियों के लिये कुल राशि रूपये 20 करोड़ पूंजी निवेश होगा तथा सामूहिक स्वामित्व का एक सार्वजनिक सुविधा केन्द्र के लिये रूपये 5 करोड़ पूंजी निवेश होगा।

इस प्रकार एक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिये कुल पूंजी निवेश राशि रूपये 25 करोड़ होगी।

इस अनुपात में 'प्रदेश' में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' स्थापित करने के लिए रूपये 90 हजार करोड़ धन राशि की आवश्यकता होगी।

इस 90 हजार करोड़ धन राशि में से उद्यमियों के पास से 10 प्रतिशत मार्जिन राशि के रूप में 9 हजार करोड़ रूपये की धन राशि उपलब्ध होगी।

शेष 81 हजार करोड़ रूपये धन राशि का पूंजी निवेश उद्यमियों को ऋण सहायता के रूप में प्रदान करने का प्रबन्ध किया जायेगा।

ऋण सहायता राशि का प्रबंध विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत एवं सहकारिता तथा निजी बैंकों द्वारा किया जायेगा।

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण सहायता के बारे में विवरण उपरोक्त प्रस्तुत किया गया है। किन्तु 'नर्मदा मॉल्स' श्रंखला स्थापित करने के लिए उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने की जरूरत नही है।

'नर्मदा मॉल्स' स्थापित करने के लिए 3 लाख 60 हजार उद्यमियों तथा 72 लाख कर्मचारियों के सामूहिक स्वामित्व के अन्तर्गत 'प्रदेश' स्तर पर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पंजीकृत करके 3 लाख 60 हजार उद्यमियों के सम भाग धारणता **(Share Holding)** 51 प्रतिशत तथा 72 लाख कर्मचारियों की **Share Holding** 49 प्रतिशत, इस अनुपात में सम भागो की **(Shares)** बिक्री द्वारा 'प्रदेश' में 3 हजार 'नर्मदा मॉल्स' स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी निवेश की धन राशि उपलब्ध होगी।

'प्रदेश' में 3 हजार 'नर्मदा मॉल्स' स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार पूंजी निवेश धन राशि की आवश्यकता होगी।

विवरण	धनराशि
ग्रामीण क्षेत्रो में प्रति 'नर्मदा मॉल' के लिए 01 करोड़ 75 लाख रूपये के अनुपात में 2 हजार 600 'नर्मदा मॉल्स' के लिए निवेश राशि	4 हजार 550 करोड़ रूपये
शहरी क्षेत्रो में प्रति 'नर्मदा मॉल' के लिए 8 करोड़ रूपयो के अनुपात में 400 'नर्मदा मॉल्स' के लिए पूंजी निवेश राशि	3 हजार 200 करोड़ रूपये
पूरे 'प्रदेश' में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में से उत्पादित होने वाले उत्पादों के लिए नर्मदा ब्रान्ड विज्ञापन के लिए प्रारंभिक विज्ञापन खर्च राशि	.....170 करोड़ रूपये
कुल राशि	**7 हजार 920 करोड़ रूपये**

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

उपरोक्त निवेश पूंजी राशि का प्रबन्ध निम्नानुसार किया जायेगा।

विवरण	Share Holding (in %)	धनराशि
प्रति उद्यमी 1 लाख 12 हजार 200 रूपयों के अनुपात में 3 लाख 60 हजार उद्यमियों की Share (सम भाग) रूप में जमा होने वाली राशि	51 प्रतिशत	4 हजार 39 करोड़ 20 लाख रूपये
प्रति कर्मचारी 5 हजार 390 रूपयों के अनुपात 72 लाख कर्मचारियों की Share (समभाग) रूप में जमा होने वाली राशि	49 प्रतिशत	3 हजार 880 करोड़ 80 लाख रूपये
कुल राशि		**7 हजार 920 करोड़ 00 लाख रूपये**

नर्मदा मॉल्स स्थापित करने के लिये पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 49 प्रतिशत समभाग (Shares) खरीद करने के लिये 72 लाख कर्मचारियों को प्रति 5 हजार 390 रूपये उपलब्ध कराने के लिए प्रति उद्यमी के पास 20 कर्मचारी होते है, प्रति कर्मचारी 5 हजार 390 रूपयों के अनुपात में 1 लाख 7 हजार 800 रूपये 20 कर्मचारियों को एडवांस के रूप में प्रदान किये जाने के लिये प्रति उद्यमी को प्रबन्ध करना आवश्यक है, इस राशि को कर्मचारियों के मासिक वेतन से किश्तों में काट कर प्राप्त किया जायेगा।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में शामिल होने के लिए उद्यमियों के पास निम्नलिखित विवरण के अनुसार उनकी स्वयं की (कर्ज से नही) धन राशि मार्जिन राशि के रूप में उपलब्ध होना आवश्यक है।

विवरण	धनराशि
व्यक्तिगत माइक्रो इन्डस्ट्रीज के लिए कुल पूंजी निवेश धन राशि 20 लाख रूपये में से 10 प्रतिशत मार्जिन राशि	2 लाख 00 हजार 000 रूपयें
100 माइक्रो इन्डस्ट्रीज के उद्यमीयों के सामूहिक स्वामित्व के सार्वजनिक सुविधा केन्द्र के लिए आवश्यक पूंजी निवेश रूपये 5 करोड़ धन राशि में से 10 प्रतिशत मार्जिन राशि रूपये 50 लाख का प्रबन्ध करने के लिए प्रति उद्यमी 50 हजार रूपयों की (1 प्रतिशत) धन राशि	0 लाख 50 हजार 000 रूपयें
.'नर्मदा मॉल्स' के कम्पनी में 51 प्रतिशत शेयर धारकों में शामिल होने के लिए प्रति उद्यमी शेयर खरीदी के लिए आवश्यक धन राशि	1 लाख 12 हजार 200 रूपयें
'नर्मदा मॉल्स' के कम्पनी में 49 प्रतिशत शेयर धारकों में अपने 20 कर्मचारियों को शामिल करने के लिए प्रति कर्मचारी के लिए 5 हजार 390 रूपयों के अनुपात में (20 कर्मचारियों x 5 हजार 390) शेयर खरीदी के लिए आवश्यक धन राशि	1 लाख 07 हजार 800 रूपयें
'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' स्थापित होने तक आवश्यक आकस्मिक निधि	0 लाख 30 हजार 000 रूपयें
कुल	**5 लाख 00 हजार 000 रूपयें**

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

'प्रदेश' में 3 हजार 'नर्मदा मॉल्स' के लिए प्रदेश स्तर पर स्थापित लिमिटेड कम्पनी में मार्केटिंग तथा विज्ञापन क्षेत्रो के विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश के 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में से उत्पादित होने वाले उत्पादों की विज्ञापन व्यवस्था नर्मदा ब्रान्ड में हो जाएगी।

'प्रदेश' स्तर की 'नर्मदा मॉल्स' के लिमिटेड कम्पनी को जो मुनाफा प्राप्त होगा उसमें से कुछ राशि आरक्षित निधि (Reserve Fund) के रूप में तथा कुछ राशि विकास निधि (Development Fund) के रूप में रखकर शेष बची हुई मुनाफा राशि को शेयर होल्डर्स में क्पअपकमदक के रूप में वितरित की जायेगी। यह डिव्हीडंड राशि प्रचण्ड मात्रा में होगी।

3 हजार 'नर्मदा मॉल्स' की 'प्रदेश' स्तर के पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में विशाल स्वरूप में वित्तीय कारोबार (Financial Turnover) होगा और मुनाफा राशि भी विशाल स्वरूप में होगी, उद्यमियों को उनके माइक्रो इन्डस्ट्रीज़ में प्राप्त होने वाले मुनाफे की धनराशि के अतिरिक्त डिव्हीडंड की धनराशि भी बढ़ी मात्रा में प्राप्त हो जायेगी।

इसी प्रकार कर्मचारियों को भी उनके वेतन की धन राशि के अतिरिक्त डिव्हीडंड राशि बढ़ी मात्रा में प्राप्त हो जायेगी। यह कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी कार्य भी होगा तथा उद्यमियों तथा कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध निर्मित होगें, इस कारण सभी कर्मचारी पूरी लगन और मेहनत से उत्पादन में मन लगाकर काम करेगें।

महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्यमियों और कर्मचारियों के बीच में मन मुटाव एवं टकराव कभी नही होगा तथा उत्पादन प्रक्रिया अबाधित रूप से चलती रहेगी।

'प्रदेश' में 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' कार्यान्वित करने के लिए 3 लाख 60 हजार उद्यमी एवं 72 लाख कर्मचारियों का चयन करना चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसलिए सबसे पहले सम्पूर्ण भारत में वर्ष 2018 में बेरोजगारी

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

का जो नया समीकरण स्थापित हो गया है, इसका विश्लेषण निम्नानुसार है:–

शिक्षण	गुण वत्ता	रोजगार का स्थान	परिणाम	मानसिकता	परिमाण
पोस्ट ग्रेजुएट	अति बुद्धि मान	योग्यता के अनुसार	कुछ नही	उत्तम	संतोषजनक
पोस्ट ग्रेजुएट	उच्च, मध्यम, साधारण श्रेणी	जहॉ ग्रेजुएटस की आवश्यकता है उस स्थान पर	ग्रेजुएटस के स्थान पर अतिक्रमण	योग्यता के अनुसार रोजगार की तलाश में है ऐसे आशावादी बेरोजगार	असंतोष
ग्रेजुएट	उच्च, मध्यम, साधारण श्रेणी	जहॉ डिप्लोमा धारक की आवश्यकता है उस स्थान पर	डिप्लोमा धारक के स्थान पर अतिक्रमण	योग्यता के अनुसार रोजगार की तलाश में है ऐसे आशावादी बेरोजगार	असंतोष
डिप्लोमा धारक	उच्च, मध्यम, साधारण श्रेणी	जहॉ बारहवी उत्तीर्ण एवं आई. टी. आई. उत्तीर्ण की आवश्यकता है उस स्थान पर	बारहवी उत्तीर्ण एवं आई. टी. आई उत्तीर्ण के स्थान पर अतिक्रमण	योग्यता के अनुसार रोजगार की तलाश में है ऐसे आशावादी बेरोजगार	असंतोष
बारहवी उत्तीर्ण एवं आई. टी.आई. उत्तीर्ण	उच्च, मध्यम, साधारण श्रेणी	जहॉ दसवी उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण की आवश्यकता है उस स्थान पर	दसवी उत्तीर्ण /अनुत्तीर्ण के स्थान पर अतिक्रमण	योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलेगा ऐसा विश्वास हो चुका है फिर भी स्थाई रोजगार की तलाश में है ऐसे आशावादी बेरोजगार	तीव्र असंतोष
दसवी उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण	उच्च, मध्यम, साधारण श्रेणी	दैनिक मजदूरी, अस्थायी रोजगार अथवा बेरोजगार	दूसरों के रोजगार पर अतिक्रमण करने के अवसर नहीं	स्थाई रोजगार नहीं मिलेगा ऐसा विश्वास कर चुके निराशावादी बेरोजगार	अतितीव्र असंतोष
पॉचवी से नववी उत्तीर्ण एवं अल्प शिक्षित	उच्च, मध्यम, साधारण श्रेणी	दैनिक मजदुरी, अस्थायी रोजगार अथवा बेरोजगार	किसी के भी रोजगार पर अतिक्रमण करने की स्पर्धा में नहीं तथा विचार भी नहीं	स्थायी रोजगार की परिकल्पना ही नहीं, जो रोजगार मिल गया उसमें संतुष्ठ रहने के सिवा कोई चारा नहीं, ऐसी धारणा कर चुके निराशावादी बेरोजगार	असमर्थता

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

प्रदेश में 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर एवं नर्मदा मॉल्स' निर्माण के संयुक्त अभियान को प्रस्तुत ''शास्वत विकास योजना'' में आगे 'रोजगार निर्माण अभियान' संबोधित किया गया है।

प्रदेश में 'रोजगार निर्माण अभियान' को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

'प्रदेश' में 'रोजगार निर्माण अभियान' को प्रभावशील रूप से लागू करने के लिए राज्य शासन की केन्द्रीय निगरानी व्यवस्थापन प्रणाली Centralised Monitoring Management System स्थापित की जायेगी।

इस प्रणाली के लिये मुख्यमंत्री के आधीन 'रोजगार निर्माण विभाग' स्थापित किया जायेगा।

'रोजगार निर्माण विभाग' में निम्न संरचना अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।

1. एक स्वतंत्र प्रमुख सचिव।
2. दो संभाग के लिए एक इस अनुपात में पॉच उपसचिव।
3. 18 उपविभाग के लिए एक इस अनुपात में 10 विभागीय अधिकारी।
4. 20 क्लस्टर विभाग के लिए एक इस अनुपात में 180 उप विभागीय अधिकारी।
5. एक क्लस्टर विभाग के लिए एक इस अनुपात में 3 हजार 600 क्लस्टर अधिकारी।

उपरोक्त 3 हजार 796 अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी तथा आवश्यकता अनुरूप कक्ष अधिकारी, हेड क्लर्क, क्लर्क, कम्प्युटर आपरेटर, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेगी।

उपरोक्त 3 हजार 600 क्लस्टर अधिकारी प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित किए जाकर नियुक्त किये जायेंगे।

'प्रदेश' में 'रोजगार निर्माण अभियान' की जानकारी एवं चयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी जमीनी स्तर तक पहुंचाना एवं जानकारी संकलित करने के कार्य के लिए 'प्रदेश' में उपलब्ध आंगनबाड़ी सेविकाओं का इन्फ्रास्ट्रक्चर इस कार्यक्रम के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

'रोजगार निर्माण अभियान' के लिए चयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में 75 लाख अथवा उससे अधिक प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित किया जायेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त से लेकर डिप्लोमा धारक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा अति उच्च शिक्षा प्राप्त सहित सभी प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

उद्योग क्षमता ईश्वर प्रदत्त होती है, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थीयों को अपनी क्षमता का आंकलन हो जायेगा तथा 'प्रदेश' में उद्यमी क्षमता की कितनी सम्पदा उपलब्ध है, इसकी निश्चित संख्या शासन को भी प्राप्त हो जायेगी।

'प्रदेश' में इस 'रोजगार निर्माण अभियान' के लिए शामिल होने वाले सभी प्रशिक्षणाथिर्यो को उद्यमी विकास प्रशिक्षण (Entrepreneur Development Training) दिया जायेगा।

प्रशिक्षण के लिये पाठयक्रम (syllabus) निर्धारित किया जायेगा।

इस पाठयक्रम की काल अवधि 30 दिन की होगी।

इन 30 दिनों के पाठयक्रम में निम्नलिखित विषयों के बारे में प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा उनकी क्षमता का परीक्षण किया जायेगा।

1. क्या प्रशिक्षणार्थी में जोखिम स्वीकारने की क्षमता है ?
2. क्या प्रशिक्षणार्थी में जोखिम के विषयों को ग्रहण करने की क्षमता है ?
3. क्या जोखिम खत्म नही की जा सकती है किन्तु उसकी तीव्रता शिथिल की जा सकती है, यह बात ग्रहण करने की क्षमता है ?
4. क्या प्रशिक्षणार्थी 25 लाख रूपये ऋण चुकाने के लिए, स्वयं सक्षम है ? इस बात का एहसास प्रशिक्षणार्थी को है ?
5. क्या प्रशिक्षणार्थी में 20 कर्मचारियों का और उनके परिवार का मैं रक्षक हूँ, यह जिम्मेदारी स्वीकार करने की क्षमता है ?
6. क्या प्रशिक्षणार्थी में त्वरित निणर्य लेने की क्षमता है ?

ऐसे अनेक विषयों के साथ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मानदण्ड का प्रशिक्षण देने के बाद क्षमता का परीक्षण करने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी का चयन किया जायेगा।

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

परीक्षण में चयन किए गए प्रशिक्षणार्थियों में से जिनके पास 'रोजगार निर्माण अभियान' में शामिल होने के लिए आवश्यक 10 प्रतिशत मार्जिन राशि की स्वयं प्रबन्ध करने की क्षमता है, ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निश्चित की जायेगी। ईन प्रशिक्षणार्थियों में से 'रोजगार निर्माण अभियान' के लिए 3 लाख 60 हजार उद्यमि बनने की क्षमता रखनेवाले प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

उद्यमियों का चयन होने के बाद शेष प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी श्रेणी के रूप में रह जायेंगे। इनमें से 'रोजगार निर्माण अभियान' के लिए आवश्यक 72 लाख कर्मचारियों का चयन किया जायेगा।

प्रथम चरण

उपरोक्त 75 लाख या उससे भी अधिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए उद्यमी विकास प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए प्रति 20 हजार आबादी के पीछे एक इस प्रकार पूरे प्रदेश में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में प्रति विभाग एक अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया जायेगा।

प्रत्येक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में शासकीय क्लस्टर अधिकारी आंगनबाड़ी सेविकाओ का सहयोग लेकर उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करेगा।

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिए उत्पादन का चयन करना तथा स्थान का निर्णय करने के लिए 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' परियोजना की व्यवहारिकता (Viability) एवं लाभ प्रदता (feasibility) के मानदण्ड निश्चित होते हैं।

प्रत्येक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में शामिल प्रशिक्षणार्थियों के सहयोग से प्रत्येक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिए किस प्रकार के उत्पादन के लिए पोषक स्थिति है। यह ज्ञात की जायेगी तथा प्रत्येक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में किस प्रकार का उत्पादन होना चाहिए, यह निश्चित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

हर 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिए आवश्यक सुविधापूर्वक स्थान तथा भूमि उपलब्ध है, यह प्रशिक्षाणार्थियों से ज्ञात करके उस विभाग में 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' किस स्थान पर स्थापित करना चाहिए, वह स्थान निश्चित किया जायेगा।

'प्रदेश' में 3 लाख 60 हजार उद्यमी एवं 72 लाख कर्मचारियों का चयन तथा 3 हजार 600 विभागों में कौन–कौन से उत्पादों के 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' स्थापित होंगें एवं किस स्थान पर स्थापित होंगें यह निश्चित करने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 'रोजगार निर्माण अभियान' का प्रथम चरण पूर्ण हो जाएगा।

द्वितीय चरण

'प्रदेश' में 3 हजार 600 चयन किए हुए 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' उत्पादनों के अनुसार हर उत्पाद में दीर्घ अनुभवी उच्च शिक्षा प्राप्त 3 हजार 600 प्रॉडक्शन टेक्नॉलाजिस्टों का चयन करके नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

प्रॉडक्शन टेक्नॉलाजिस्टों का चयन एवं प्रॉडक्शन टेक्नॉलाजिस्टों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रमुख सचिव तथा उपसचिवों की निगरानी में क्लस्टर अधिकारियों के सहयोग से विभागीय अधिकारियों के द्वारा पूर्ण की जायेगी। यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात 'रोजगार निर्माण अभियान' का दूसरा चरण पूर्ण हो जाएगा।

तृतीय चरण

सभी 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिये चयनित विभिन्न उत्पादन के वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पूर्व निवेश अध्ययन रिपोर्ट (pre investment report) बाजार विश्लेषण रिपोर्ट (Marketing Analysis Report) एवं परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (Project Feasibility Report) भारत में विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्यों के शासकीय अनुसंधान केन्द्रों में उपलब्ध है, उनका सामूहिक उपयोग किया जायेगा।

उपरोक्त लिखित विभिन्न शासकीय अनुसंधान केन्द्रों में उपलब्ध जानकारियों की मदद से हर 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में नियुक्त प्रॉडक्शन टेक्नॉलाजिस्ट के द्वारा प्रदेश में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर्स' के लिये Detailed Project Report तैयार करने की प्रक्रिया

शुरू हो जायेगी तथा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 'रोजगार निर्माण अभियान' का तीसरा चरण पूर्ण होगा।

चौथा चरण

'प्रदेश' के कृषि विभाग के अभिलेखों अनुसार पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलो में 68 लाख 90 हजार एकड़ निकृष्ठ भूमि (Degraded land) उपलब्ध है, हर 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' तथा 'नर्मदा मॉल्स' के लिए अनुमानित 30 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इतनी भूमि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जायेगी, इस कारण शासकीय भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।

शहरी क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश विभागों द्वारा नगर विकास योजना हेतु आरक्षित की गई 10 प्रतिशत खुली भूमि (Open space) एवं रेल्वे लाइन, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेन्ड तथा सार्वजनिक उपक्रम के लिए उपयोग में लाई गई जमीन की उपरी सतह क्षेत्र का (Floor Space Index) फर्शी क्षेत्र सस्ती दरों में शासन द्वारा उपलब्ध की जायेगी। इस फर्शी क्षेत्र के उपयोग से 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' तथा 'नर्मदा मॉल्स' के लिए बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया जायेगा।

प्रदेश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टरों' के लिये आवश्यक भूमि की व्यवस्था पूर्ण होने के पश्चात 'रोजगार निर्माण अभियान' का चौथा चरण पूर्ण हो जायेगा।

पॉचवा चरण

इस अभियान के पहले चरण में 3 लाख 60 हजार उद्यमियों एवं 72 लाख कर्मचारी श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का चयन हो चुका है, इस प्रकार प्रति 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में 100 उद्यमियों और 02 हजार कर्मचारी श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का चयन हो चुका है।

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिए आवश्यक कर्मचारी श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों को तकनीकी ज्ञान (Technical knowledge) एवं व्यवस्थापन ज्ञान (Management knowledge) प्रदान करवाना महत्वपूर्ण है। विभिन्न उत्पाद के 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' के लिए पाठयक्रम (Syllabus) अलग–अलग होते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

तकनीकी ज्ञान

1. उत्पादन के लिए कच्चे माल की हेन्डलिंग की जानकारी।
2. उत्पादन प्रक्रिया में मशीन आपरेटिंग एवं मशीनरी की स्थापित क्षमता (Install Capacity) की जानकारी ।
3. मशीन आपरेटर द्वारा प्रत्यक्ष उपयोग मे आने वाली मशीनरी की कार्यक्षमता (Efficient Capacity) की जानकारी ।

इस प्रकार के अनेक विषयों का ज्ञान शामिल होता है।

व्यवस्थापन ज्ञान

1. कच्चे माल की मांग, उत्पादन के लिए पूर्ति इन दोनो में संतुलन रखने के मानदण्ड।
2. कच्चे माल के लिए राशि का भुगतान और उत्पादित उत्पाद से प्राप्त राशि इन दोनो के बीच संतुलन रखने के मानदण्ड।
3. मशीनरी की स्थापित क्षमता और कार्य क्षमता नियंत्रित रखने के मानदण्ड।

इस प्रकार के विभिन्न विषयों का ज्ञान सम्मिलित होता है।

उपरोक्त तकनीकी ज्ञान एवं व्यवस्थापन ज्ञान वास्तविक रूप से मशीनों पर दिया जाता है।

इसके लिए अलग–अलग परियोजनाओं के लिए अलग–अलग पाठयक्रम देश में विभिन्न स्थानों पर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में उपलब्ध है, तकनीकी तथा व्यवस्थापन ज्ञान के लिए कौशल्य विकास प्रशिक्षण (Skill Development Training) कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा तथा इसकी काल अवधि 30 से 90 दिन की होती है।

'प्रदेश' में प्रत्येक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में 100 उद्यमी तथा 2 हजार कर्मचारी श्रेणी को कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करके प्रशिक्षित करना आवश्यक है, लेकिन इस प्रशिक्षण के लिए एक ही काल अवधि में एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या का प्रशिक्षण केन्द्र

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

उपलब्ध होना असम्भव है। अतः 2 हजार 100 प्रशिक्षणार्थियों के छोटे छोटे समूह में विभाजित कर, अलग–अलग काल अवधि निर्धारित कर के प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हर 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में नियुक्त शासकीय क्लस्टर अधिकारी तथा Production Technologist इन दोनों अधिकारियों द्वारा 100 उद्यमियों के सहयोग से आयोजित करके प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2000 कर्मचारी श्रेणी के प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण दिये जाने एवं परीक्षा ली जाने के पश्चात उनकी योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र प्रदान किए जावेगें। यह प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात पॉचवा चरण पूर्ण हो जायेगा।

छठवां चरण

उद्यमी विकास प्रशिक्षण तथा कौशल्य विकास प्रशिक्षण ये दोनों कार्यक्रम अल्प काल अवधि के होते है, इस प्रशिक्षण से पूर्ण कौशल्य प्राप्त नहीं होता है, किन्तु 2100 प्रशिक्षणार्थीयों को उद्योग क्षमता के मानदण्ड तथा तकनीकी एवं व्यवस्थापन ज्ञान के मान दण्ड प्राप्त होते हैं और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को स्वयं की क्षमता की जानकारी होती है।

पूर्ण कौशल्य क्षमता प्राप्त होने के लिए इस अभियान के आठवें चरण में उपरोक्त प्रशिक्षणार्थीयों को 3 से 6 महीने की काल अवधि का दूसरी बार व्यवहारिक (Practical) प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इस विषय में विवरण आगे प्रस्तुत किया गया है।

प्रदेश में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में उद्योग विकास प्रशिक्षण, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ही समय पर एक साथ प्रारम्भ होकर समाप्त हो जाता है। इन दोनों प्रशिक्षणों से 3 लाख 60 हजार नवनिर्मित उद्यमियों एवं 72 लाख कर्मचारी प्रशिक्षित हो जायेंगे।

इस 'रोजगार निर्माण अभियान' के उपरोक्त लिखित पांच चरणों में सम्पूर्ण प्रदेश में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में किस उत्पाद के क्लस्टर होगें एवं किस स्थान पर होगें यह निश्चित करके प्रत्येक विभाग के 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार हो जायेगा। साथ ही साथ उद्यमियों एवं कर्मचारी भी प्रशिक्षित हो जायेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक शासकीय अनुमति एवं प्रमाण पत्र तथा पंजीयन की प्रक्रिया और ऋण सहायता की प्रक्रिया प्रारंभ होकर ऋण वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी, यहॉ पर अभियान का छठवां चरण पूर्ण हो जायेगा।

सातवां चरण

प्रदेश में एक ही समय पर 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' तथा 3 हजार 'नर्मदा शॉपिंग मॉल्स' के भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ होकर भवनों का निर्माण कार्य अन्तिम अवस्था में आने के पश्चात हर 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में प्रति माइक्रो इन्डस्ट्रीज़ यूनिट में 20 कर्मचारी इस अनुपात में 2000 कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य प्रोडक्शन टेक्नालाजिस्ट के द्वारा प्रारम्भ होगा और प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण में प्रदान किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार उच्च, मध्यम, साधारण, गुणवत्ता के अनुपात में अलग–अलग श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होगी। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात इस 'रोजगार निर्माण अभियान' का सातवां चरण समाप्त हो जायेगा।

आठवां चरण

'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' एवं नर्मदा मॉल्स भवन निर्माण का कार्य अन्तिम अवस्था में पहुॅचाने के बाद प्रत्येक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में नियुक्त Production Technologist, 100 उद्यमियों तथा 2000 कर्मचारियों के प्रत्यक्ष सहयोग से Machinery Erection का कार्य प्रारम्भ होगा। Machinery Erection से प्रायोगिक उत्पादन (Trial production) तक की काल अवधि 3 से 6 माह होती है और यह काल अवधि नव उद्यमियों तथा कर्मचारियों के लिए द्वित्तीय व्यवहारिक (Practical) प्रशिक्षण की काल अवधि होगी।

Machinery Erection का कार्य Production Technologist के मार्गदर्शन के अर्न्तगत 100 उद्यमियों एवं 2000 कर्मचारियों के बौद्धिक एवं श्रमशक्ति द्वारा प्रारम्भ होगा तथा प्रायोगिक उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक उद्यमियों तथा कर्मचारियों को कौशल्य विकास दूसरी बार प्राप्त होकर उनकी कौशल्य क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो जायेगी। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात इस 'रोजगार निर्माण अभियान' का आठवॉ चरण समाप्त हो जायेगा।

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

अंतिम चरण

प्रायोगिक उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से व्यवसायिक उत्पादन (Commercial production) प्रारम्भ होगा और उत्पादित उत्पाद (Finish product) नर्मदा मॉल्स में बिक्री के लिए भेजना प्रारम्भ हो जायेगा और यहॉ 'रोजगार निर्माण अभियान' का अन्तिम चरण पूर्ण हो जायेगा।

शास्वत कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग विकास

'प्रदेश' में 3 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' स्थापित होने के साथ 3 हजार नर्मदा मॉल्स की श्रंखला निर्मित हो जायेगी इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में किसानों के कृषि उत्पाद के लिए Cold storage श्रंखला एवं गोदाम श्रंखला का निर्माण हो जायेगा।

'प्रदेश' में राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार लगभग 4 करोड़ एकड़ कृषि भूमि है, और 73 लाख 60 हजार कृषक हैं। इसके अनुसार प्रति कृषक लगभग 5.5 एकड़ कृषि भूमि का स्वामी है। इस अनुपात में प्रति कृषक परिवार की 27.50 एकड़ भूमि धारण (Land Holding) क्षमता है।

इसके अलावा 'प्रदेश' शासन के स्वामित्व की 68 लाख एकड़ निकृष्ठ भूमि उपलब्ध है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रदेश में 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में प्रति 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में लगभग 15 हजार एकड़ भूमि की उपलब्धतता है तथा कृषक परिवारों की सख्या 560 है।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

कृषकों की युवा पीढ़ी शिक्षित हो गई है एवं कृषि क्षेत्र की आधुनिक तथा उन्नत जानकारी आत्मसात करना चाहती है, कृषि क्षेत्र में विश्वस्तर पर अत्याधुनिक तकनीक का विकास हो चुका है। लेकिन इस अत्याधुनिक तकनीक को प्रत्येक कृषक के दरवाजें तक पहुॅचाना अत्यन्त आवश्यक ही नहीं किन्तु अनिवार्य भी है।

1. सैटेलाईट रिमोट सेसिंग तथा कम्प्यूटरकृत इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर प्रौद्योगिकी आधारित मौसम एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों का निर्माण। (Satellite Remote Sensing and Computerized Electronic Sensor Technology based Meteorological and Agriculture Science Centre)

फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त होने के लिए प्रकाश, हवा, पानी और उर्वरक (खाद) की जरूरत होती है, और इस आवश्यकता की पूर्ति जड़, डंठठल तथा पत्तों के द्वारा की जाती है।

मिट्टी से पानी तथा पोषक तत्व जड़ द्वारा ग्रहण किए जाते है।

हवा में कार्बन डाय आक्साइड पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है।

प्रकाश का उपयोग करके शर्करा तथा सत्व डंठठल द्वारा निर्माण किया जाता है इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते है।

ये तीनो प्रक्रियाओं से आक्सीजन निर्मित होती है यह आक्सीजन (प्राणवायु) पत्तों द्वारा हवा में छोड़ी जाती है।

फसल की बोनी होने के पश्चात पूरी फसल कृषक के हाथ में आने तक विभिन्न चरणों पर पानी की मात्रा एवं समय उर्वरको की मात्रा एवं समय तथा कीटनाशकों की मात्रा एवं समय इन तीनो विषयों का सीधा संबध मौसम विज्ञान से होता है।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

मौसम के अनुमान में कृषि भूमि की सतह से 5 फुट उपर तक निर्मित होने वाला तापमान उस अनुसार निर्मित होने वाली आद्रता एवं कृषि भूमि पर कितनी वर्षा हो चुकी है, तथा सूर्य की किरणों से कितना उत्सर्जन हुआ है, इसके साथ हवा की दिशा एवं गति इन सभी विषयों का सीधा संबध फसलो के लिए पानी उर्वरक एवं कीटनाशक की मात्रा एवं समय निर्धारित करने से होता है।

किन्तु कृषको को उनकी कृषि भूमि के समीप मौसम विज्ञान केन्द्र की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वर्तमान स्थिति मे पानी उर्वरक कीटनाशक तथा समय पारम्परिक पद्धति से अनुमानित तरीके से निश्चित करते है।

यह पारम्परिक पद्धति अपनाने से पानी तथा उर्वरक एंव कीटनाशक का असंतुलित उपयोग किया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद घटता है, और उत्पादन खर्च बढ़ता है।

'प्रदेश' में प्रति 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में 15 हजार एकड़ भूमि उपलब्ध है, इस 15 हजार एकड़ भूमि के कृषकों का समूह (cluster) बनाकर सामूहिक सैटेलाईट रिमोट सेंसिंग तथा कम्प्यूटीकृत इलेक्ट्रानिक सेन्सर प्रौद्योगिकी आधारित मौसम एवं कृषि विज्ञान केन्द्र का निर्माण किया जायेगा।

इस निर्माण के लिये आने वाला पूंजी निवेश सभी 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में निवासरत 560 कृषक परिवारों में विभाजित हो जाएगा। इस पूंजी निवेश के लिए कृषक को ऋण सहायता प्रदान की जायेगी।

रिमोट सेसिंग तथा सेन्सर तकनीक का प्रयोग करने से कृषको को प्रति वर्ष प्रति एकड़ कृषि उत्पादन खर्च 25 प्रतिथत कम हो जायेगा और कृषि उत्पादन कम से कम 30 प्रतिथत तथा ज्यादा से ज्यादा 50 प्रतिथत तक बढ़ जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

रिमोट सेसिंग तथा सेन्सर तकनीक की कार्य पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रत्येक कृषक परिवार की कृषि भूमि में आवश्यकता के अनुसार वायरलैस सेन्सर बिठाए जाते है इन सेन्र्सस द्वारा प्रति घन्टे के अनुपात में मध्यवर्ती संगणक प्रणाली को निम्नलिखित जानकारी रीडिंग (अध्ययन) करके भेजी जाती है।

1. कृषि भूमि की सतह के 3 इंच नीचे तक का प्रति इन्च तापमान तथा आद्रता।
2. कृषि भूमि की सतह के 60 इन्च उपर तक का प्रति इन्च तापमान तथा आद्रता।
3. हवा की गति तथा दिशा।
4. सूर्य की किरणों का उत्सर्जन।
5. वर्षा का प्रमाण एवं तीव्रता।

मुख्य संगणक प्रणाली में हर कृषक परिवार की कृषि भूमि के नक्शे (map) अंकित रहते है, और प्रत्येक कृषक परिवार की कृषि भूमि का तापमान, आद्रता, हवा की गति एवं दिशा सूरज की किरणों का उत्सर्जन, बारिश की स्थिति इन सभी विषयों का वैज्ञानिक विश्लेषण संगणक प्रणाली में स्थापित साफ्टवेयर द्वारा प्रति घंटा निरन्तर होता रहता है।

इस विश्लेषण का अन्य साफ्टवेयर द्वारा अध्ययन किया जाकर प्रत्येक कृषक परिवार को उसकी कृषि भूमि में पानी की मात्रा कितनी एवं कब देनी चाहिए तथा उर्वरक की मात्रा कब और कितनी तथा कौन से प्रकार की देनी चाहिए, और कृषि भूमि के किस हिस्से में कीड़े एवं बुर्सी उत्पन्न होने वाली है, अथवा प्राथमिक अवस्था में है, इस जानकारी के साथ–साथ इसके निवारण के लिए कौन से प्रकार का कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए यह सभी जानकारी त्वरित रूप से लिखित रिपोर्ट के साथ कृषक परिवार के दरवाजे तक पहुॅचाई जाती है।

यह मुख्य संगणक प्रणाली प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों के लिए 2 हजार 600 मौसम एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में स्थापित की जायेगी।

प्रत्येक कृषक परिवार को उसके लिए आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी लिखित रूप में प्रदान करने के लिए यह मध्यवर्ती संगणक प्रणाली काम आयेगी।

साथ ही साथ प्रति 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में आंधी की तीव्रता का पूर्व अनुमान, वर्षा का पूर्व अनुमान, ओलो का पूर्व अनुमान, ठंड एवं गर्मी का पूर्व अनुमान, सार्वजनिक रूप से त्वरित तथा अचूक उपलब्ध किया जाएगा।

2. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 मिट्टी प्रयोगशालाओं का निर्माण

कृषकों को कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि भूमि में किस समय और कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए तथा किस समय और कितनी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए एवं किस समय और कितनी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए।

इन विषयों की किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण कृषक वर्तमान में पारम्परिक तरीके से (अनुमानित पद्धति) से पानी तथा उर्वरक एवं कीटनाशकों का असन्तुलित प्रयोग करते आ रहे हैं।

इन असन्तुलित प्रयोगों के कारण वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि योग्य भूमि का क्षरण (Soil erosion) हो गया है तथा अम्ल एवं क्षार की मात्रा अधिक हो गई है, एवं मिट्टी में खनिज द्रव्यों की संरचना (Structure) बाधित हो गई है, यह बाधित संरचना पुर्नस्थापित करने के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य सहजता से बाजार में उपलब्ध है।

कृषि भूमि की बाधित संरचना पुर्नस्थापित करने के पूर्व कृषि भूमि की मिट्टी का परीक्षण करके सुधार के लिए परीक्षण रिपोर्ट किसानों के दरवाजे तक पहुँचाना अनिवार्य है। परीक्षण रिपोर्ट में दर्शाए गए मापदंण्डो के अनुसार आवश्यक खनिज द्रव्यों का प्रयोग करके कृषि भूमि उच्च श्रेणी की उर्वरक भूमि करना सरल हो जाएगा।

कृषि योग्य तथा कृषि योग्य पड़त भूमि को उच्च श्रेणी की भूमि में पुर्नस्थापित करना एवं पुर्नस्थापित हो चुकी उच्च श्रेणी की भूमि को निरंतर उच्च श्रेणी में बनाए रखना यह दोहरा कार्य निरंतर क्रियाशील रखने के लिए प्रदेश में 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागोंमें

मिट्टी परीक्षण एवं रिपोर्ट किसानों तक पहुॅचाने के लिये सेवा–उद्योग क्षेत्र का निर्माण किया जायेगा।

मिट्टी परीक्षण क्षेत्र विस्तार करने के लिए मिट्टी परीक्षण लेबारेट्रीज़ तथा कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रत्येक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में स्थापित नर्मदा मॉल्स में स्थान उपलब्ध किया जायेगा।

प्रति 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में उपलब्ध 15 हजार एकड़ भूमि का मिट्टी परीक्षण एवं रिपोर्ट के लिए मिट्टी के प्रकार अनुसार सैम्पल लेना अनिवार्य होता है, इस हिसाब से प्रति 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में मिट्टी परीक्षण करना और यह कार्य निरंतर कार्यान्वित करना अत्यन्त विशाल कार्य है। मिट्टी परीक्षण एवं रिपोर्ट के लिए प्रति एकड़ किसानों से सेवा शुल्क लेकर किसानो के दरवाजे तक रिपोर्ट पहुॅचाने का कार्य सम्पन्न किया जायेगा। इस कार्य के लिये बड़ी संख्या में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो जायेगा।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के उपयोग से किसानों के कृषि उत्पाद में 20 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी।

3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 विभागों में जैविक ईधन (Bio Diesel) उत्पादन क्षेत्रों का निर्माण :–

कृषि भूमि का क्षरण तथा अम्ल एवं क्षार की मात्रा अधिक होने का प्रमुख कारण कृषि भूमि की सतह समतल न होने के कारण खेतों में पानी देने पर एवं उर्वरकों का उपयोग करने पर पानी के साथ उर्वरक बह जाते हैं, तथा खेत के एक कोने में उर्वरक मिश्रित पानी इकठ्ठा हो जाता है। मिट्टी परीक्षण एवं रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि के खनिज द्रव्यों का सन्तुलन ठीक करने के बावजूद उपरोक्त लिखित कारणों की व्यवस्था नहीं की गई तो वापस कृषि भूमि के खनिज द्रव्य का सन्तुलन असंतुलित होना तय है। इसके लिए कृषि भूमि में प्रति एकड़ के अनुपात में मेड़ बन्दी (बंधिया) करवाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

एक एकड़ के अनुपात मेड़ बन्दी होने के वजह से प्रति एकड़ में भूमि विभाजित हो जायेगी, इस वजह से भूमि की सतह हमेशा समतल रखना आसान हो जावेगी इस कारण हमेशा भूमि के खनिज द्रव्यों का सन्तुलन नियमित रखने में सहायता मिलेगी।

उपरोक्त मेड़ बन्धी की सतह पर जैविक ईधन प्रजाति की झाड़ी जट्रोफा लगाने से कृषको को कृषि उत्पाद के अतिरिक्त धन राशि प्राप्त होगी, तथा 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में स्थापित बायो डीजल 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में आसानी से जट्रोफा बीजों की बिक्री एवं वितरण हो जाएगा।

जट्रोफा की वजह से प्रति एकड़ बिना खर्च बागड़ (Fencing) भी बन जाएगी। इस कारण पालतू एवं जंगली जानवर कृषि भूमि में घुस नही पायेगें तथा कृषि उत्पादन का नुकसान नही होगा और कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा।

कृषि भूमि में कीटाणुओं की शुरूआत खेतों में किसी एक स्थान पर होती है और बाद में वह पूरे खेत मे फैल जाते हैं। इस कारण से कृषि उत्पादन का नुकसान होता है एवं कृषि से प्राप्त धन राशि भी घटती है।

जट्रोफा के बागड़ के कारण से कीटाणुऔं का फैलाव पूरे खेतों में होना रूक जाएगा एवं जिस स्थान पर कीटाणु उत्पन्न हुए है इसकी जानकारी किसान को जल्दी मिल जाएगी तथा उसी स्थान पर कीटनाशकों का उपयोग करना आसान हो जाएगा।

प्राकृतिक कारणों से ऑधी आने के कारण कृषि उत्पाद को हानि पहुँचती किन्तु जट्रोफा की बाढ़ लगाने से ऑधी से होने वाला नुकसान नियंत्रित किया जा सकता है।

शासन के तथा कृषको के स्वामित्व की भूमि में जट्रोफा उत्पादन होने के कारण उत्पादन से बड़ी मात्रा में बायो डीजल का उत्पादन होगा। इस बायो डीजल का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों द्वारा कृषि संयंत्र (ट्रेक्टर अन्य मशीनरी) के संचालन के लिए प्राप्त होगा। इससे कृषकों को पूर्ति हेतु शहरों से डीजल लाना नही पड़ेगा साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी।

4. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 विभागों में सौर उर्जा उत्पादन क्षेत्रों का निर्माण :–

प्रति एकड़ के अनुपात में मेड़ बन्दी होकर मेड़ की सतह पर जट्रोफा लगाने के पश्चात मेड़ की सतह पर प्रति 5 फूट अन्तर पर सौर उर्जा पैनल्स खड़े करना संभव है प्रति एकड़ मेंड की सतह अनुमानित 800 फिट लम्बी होती है, तो प्रति एकड़ 160 सौर पैनल स्थापित किये जा सकते है। इस अनुपात में पूरे प्रदेश में उपलब्ध 4 करोड़ एकड़ कृषि भूमि में 640 करोड़ सोलर पैनल स्थापित करने के लिये किसानों को ऋण सहायता दी जायेगी।

शासन के स्वामित्व की निकृष्ठ भूमि में भौगोलिक स्थिति अनुसार जट्रोफा खेती एवं सोलर एनर्जी पैनल्स के लिए उपयोग में लाई जायेगा। इस निर्माण कार्य में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे तथा प्रदेश शासन को बड़ी मात्रा में राजस्व भी प्राप्त होगा।

5. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 विभागों में जल कृषि उत्पादन क्षेत्रों का निर्माण :–

प्रदेश में कृषि विभाग के अभिलेखो के अनुसार सिंचाई हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कुओं की संख्या 14 लाख 54 हजार है, इस सख्या को 2 हजार 600 एम.पी. क्लस्टर विभागों में विभाजित किया जाता है तो प्रति 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में 560 कुँए उपलब्ध होते हैं, इससे भी बहुत बड़ी सख्यां में नलकूप (Tubewell) उपलब्ध है।

वर्तमान में भूमिगत जलस्तर में बड़ी मात्रा में कमी आई है और इस कारण अत्यन्त दयनीय एवं चिन्ताजनक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इस विकट समस्या की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

प्रदेश में वर्षा का अनुपात संतोषजनक है, इस वर्षा की पोषक स्थिति का जल कृषि क्षेत्र विस्तार के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

प्रत्येक 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभाग में 560 कृषक परिवार है, तथा प्रति परिवार 27. 5 एकड़ कृषि भूमि का होल्डिंग है, प्रति परिवार 27.5 एकड़ कृषि भूमि में से 2 एकड़ कृषि भूमि पर भौगोलिक स्थिति के अनुसार मीठे पानी का मत्स्य एवं झीगां पालन तथा सिंघाड़ा, कमल

और कृत्रिम मोती (Pearls) उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं ऋण सहायता दी जायेगी।

जल कृषि विस्तार का महत्वपूर्ण उपयोग वर्तमान भू जल स्त्रोत की दयनीय स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए उपयुक्त होगा। इस प्रकार प्रत्येक विभाग में जल कृषि व्यवसाय हेतु प्रत्येक विभाग में 560 कृषि परिवारों में एक इस अनुपात में 560 तालाब स्थापित हो जावेगे, तथा पूरे प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के 14 लाख 56 हजार तालाब स्थापित हो जावेगे, इससे प्रदेश में भू जल स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा।

मत्स्य पालन के लिए आवश्यक मत्स्य बीज 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में से आसानी से उपलब्ध हो जायेंगे।

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप (पाला पड़ना, ओले पड़ना, सूखा पड़ना, कम तथा अधिक वर्षा आदि) प्राकृतिक कारणों की वजह से कृषकों को नुकसान उठाना पड़ता है, तथा आर्थिक परिस्थिति अस्थिर हो जाती है।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन को मुआवजा देना एवं मुआवजा देने के लिए समस्त शासकीय तन्त्र को एक साथ संलग्न कर के ऐसी समस्याओं का सामना करना अनिवार्य होता है इन समस्याओं के निवारण हेतु रेशम कृषि क्षेत्र एवं कृषि बीमा क्षेत्र का निर्माण किया जायेगा।

6. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 विभागों में रेशम कृषि उत्पादन क्षेत्रों का निर्माण :–

प्रदेश में 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में प्रति विभाग 560 कृषि परिवारों की प्रति कृषि परिवार 27.5 एकड़ कृषि भूमि में से एक एकड़ कृषि भूमि पर शहतूत की फसल बोने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस अनुपात में संपूर्ण प्रदेश में 14 लाख 56 हजार एकड़ रेशम कृषि उत्पादन क्षेत्र निर्मित हो जायेगा।

प्रति एक एकड़ क्षेत्र में रेशम कीड़ा पालन करने के लिए पारंम्परिक शेड का निर्माण किया जायेगा, यह पारंम्परिक शेड जल कृषि के लिए निर्मित तालाब के निकट स्थापित किया जायेगा क्योंकि रेशम कीड़ा पालन की 60 से 75 दिन का एक चक्र (cycle) पूर्ण करते समय पारंम्परिक शेड में आद्रता (humidity) नियंत्रित रखना आवश्यक होता है। जलकृषि तालाब की वजह से प्राकृतिक रूप से आद्रता सन्तुलित रखना संभव होता है।

रेशम कीड़ा पालन के लिए कीड़ो का खाद्य शहतूत की झाड़िया (छोठे पेड़) एक बार बोने के बाद निरंतर पत्तियाँ प्राप्त होती रहती है एवं इसके लिए पानी भी कम लगता है तथा प्राकृतिक आपदाओं का असर शहतूत पर नाम मात्र होता है।

रेशम कृषि निर्मिती का 60 से 75 दिन का चक्र होता है इसको प्रतिमाह रेशम कोश का उत्पाद होता रहता है। इस कारण प्रति माह कृषको को रेशम कोष बिक्री द्वारा धनराशि प्राप्त होती रहती है, जिससे प्राकृतिक आपदा के समय कृषको को अस्थिर आर्थिक स्थिति में सहायता प्रदान की जायेगी।

रेशम कृषि उत्पादन का कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं ऋण सहायता दी जायेगी।

रेशम कोष उत्पादन की बिक्री रेशम धागा एवं रेशम पावर लूम 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' में आसानी से होगी।

7. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 600 विभागों में कृषि बीमा सेवा केन्द्रों का निर्माण :–

प्रदेश में कृषि भूमि खातेदारों की कुल संख्या 1 करोड़ 11 लाख 70 हजार है, इस अनुपात में 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागो में प्रति विभाग 4 हजार 296 कृषि भूमि के खातेदार है।

प्रदेश में कृषि बीमा क्षेत्र का विस्तार होकर 1 करोड़ 11 लाख 70 हजार खातेदार बीमा संरक्षण के अर्न्तगत आसानी से आ सकते है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश में कितने एकड़ कृषि क्षेत्र में बोवनी वास्तविक रूप से की गई है तथा कितना वास्तविक कृषि उत्पादन होने वाला है इसका सटीक आकलन प्राप्त होगा एवं कृषि उत्पाद की मांग तथा पूर्ति संतुलित रखने के लिए यह सटीक जानकारी अत्यन्त उपयोगी रहेगी।

कृषि बीमा क्षेत्र के विस्तार होने से प्राकृतिक आपदा की स्थिति होने पर कृषकों को मुआवजा कम समय में तथा सटीक धनराशि बीमा कम्पनियों से प्राप्त होगी एवं मुआवजा प्राप्त होने तक रेशम कृषि उद्योग में से प्रति माह कृषकों को मिलने वाली धनराशि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सहायक होगी।

प्राकृतिक आपदा की परिस्थिति में शासन को मुआवजा राशि कृषकों को प्रदान करने के लिए समस्त शासन तंत्र को एक साथ कार्यरत करना आवश्यक नहीं होगा तथा मुआवजे की धन राशि प्रदान करने के लिए धन राशि का प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं।

प्रदेश में खुला वन क्षेत्र अनुमानित 86 लाख एकड़ उपलब्ध है इस खुले वन क्षेत्र में वन कृषि तथा प्रक्रिया उद्योग क्षेत्र विस्तार के लिए आपार संभावना है।

सुगंधित वनस्पति के अतंर्गत आने वाली पामा रोजा घास का मूल स्थान मध्य प्रदेश है एवं सिन्ट्रेनोला, खस, लैमन ग्रास ऐसे विभिन्न प्रकार के सुगंधी वनस्पतियों की वन कृषि के लिए प्रदेश भौगोलिक एवं मौसम की स्थिति भी अनुकूल है।

दुर्लभ वन औषधि वनस्पतियों की घने वन क्षेत्रों में प्राकृतिक सम्पदा का प्रदेश में भंडार है, केवल इन दुर्लभ वनस्पतियों की व्यावसायिक वनकृषि का विस्तार किया जायेगा।

सुगंधी एवं औषधीय वनस्पति कृषि तथा प्रक्रिया उद्योग क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बेरोजगारों को प्रशिक्षित करके बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान किए जायेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना 2018 – 2023

शास्वत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना क्रियान्वित होने पश्चात् वर्ष 2023 तक सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण आबादी को उन्नति की राह सरल हो जायेगी। शहरी क्षेत्रो से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आबादी का स्थानान्तरण होना प्रारम्भ हो जायेगा इसके परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रो में झुग्गी झोपड़ियो की बस्तियां निर्मित नहीं होगी किन्तु वर्तमान बस्तियॉ भी खाली होने लगेंगी।

वर्ष 2023 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बौद्धिक एवं श्रम शक्ति की आर्थिक उन्नति हो जाएगी तथा इनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ जायेगी। इस कारण मध्य प्रदेश में स्थित 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में स्वतः प्रवृत्त अनेक ग्रामीण क्षेत्रा का शास्वत विकास होगा। जिससे शहरी क्षेत्रो में उपलब्ध सारी सुविधाओ का निर्माण 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में होगा। उनमेसे मुख्य तत्व इस तरह होंगे –

1. शिक्षा की मांग बढेगी। उसे पुरी करने के लिये अत्याधूनिक ई–शिक्षा केन्द्रों का प्रबंध ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' मे किया जायेगा।
2. अत्याधूनिक अस्पताल और ई–स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रबंध ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' मे किया जायेगा।
3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में पुलिस यंत्रणा का विस्तार होगा।
4. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2 हजार 600 विभागों में न्यायालयीन यंत्रणा का विस्तार होगा।

यह मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना है। वर्ष 2023 तक प्राकृतिक आबादी की बढ़त होने के कारण से 'प्रदेश' के ग्रामीण क्षेत्रो में प्रति 20 हजार आबादी के पीछे एक इस अनुपात में 2 हजार 600 स्थापित 'मास प्रोडक्शन क्लस्टर' विभागों में आबादी लगभग 30 हजार हो जायेगी।

यह पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना प्रदेश की युवा शक्ति का सही उपयोग करने की राह है। यह पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना मुख्यतः दिशा दर्शन करती है की -

'प्रदेश' की युवा शक्ति को शासन द्वारा केवल उंगली पकड़ कर चलना सिखाना चाहिए युवा शक्ति अपने आप दौड़ने लगेगी। इस युवा शक्ति का उपयोग 'प्रदेश' को विकसित राज्य बनाने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा।

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018

भारतीय सामाजिक एकता पार्टी

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018, e-mail : bseparty@gmail.com

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव – 2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना सन 2018 – 2023

ध्वज

भारतीय सामाजिक एकता पार्टी

मुख्य कार्यालय – 16, ग्राम नंदोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
पंजीयन क्रमांक 56/281/2017-18/PPS-I, दिनांक 07.03.2018, e-mail : bseparty@gmail.com

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव – 2018

मध्यप्रदेश राज्य की पंचवर्षीय शास्वत विकास योजना सन 2018 – 2023

चुनाव चिन्ह

हेड फोन